:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— के.आर.खोड

मूकदमा नम्बर 66/19 राजस्व वाद

1 श्री शंकर पिता रूपा जाति चमार

2 श्री पुजीया पिता भूरा जाति चमार

3 नीमा पुत्री वेस्ता जाति चमार उम्र वयस्क निवासी नोलीयावाडा तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1 धुलीया पिता वेल्या जाति चमार

2 देवीलाल पिता वैल्या जाति चमार

3 शान्ती पत्नी वेस्ता जाति चमार

4 फलकु पिता रूपा जाति चमार

5 शारदा पिता रूपा जाति चमार निवासीयान नोलियावाडा तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

6 श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी

2 श्री कालुराम डामोर अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दूरस्तीकरण करवाने बाबत् अन्तर्गत धारा 136 रा.का. अधिनियम।

:: निर्णय ::

दिनांक 11/03/2020

(1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि गॉव नोलियावाडा तहसील चिखली की हाल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता सख्या 114 के खसरा सख्या 340 का रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1से 5 काबीज होकर काश्त करते आ रहे है कि भू–प्रबन्धन सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान राज्य की गॉव नोलीयावाडा का जमाबन्दी सवंत् 2022 के खाता सख्या 19 के खसरा नम्बर 340 में वेल्या, भूरा, पिता मोगा, वालिया वल्द कुरीया, जाति चमार हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा वेल्या पिता मोगा का 1/3 हिस्सा भूरा

a

Scanned with CamScanner

पिता मोगा 1/3 हिस्सा, एवं वालिया वल्द कुरीया 1/3 हिस्सा दर्ज है जो जमाबन्दी सवंत् 2030–2033 में भी दर्ज है जमाबन्दी सवंत् 2035–2038 में वालिया वल्द कुरीया के स्थान पर रूपा, मोगा पिता वालिया के नाम दर्ज रिकार्ड किए गए है जमाबन्दीं सवत् 2039–42 में वेलिया पिता मोगा वो वेस्ता पुजिया पिता भूरा, रूपा, मोगा, पिता वालीया चमार दर्ज है जिसमें नामा सख्या 77 द्वारा वेलिया पिता मोगा वो नीमा पिता वेस्ता, पूजिया पिता भूरा, रूपा, मोगा पिता वालिया चमार दर्ज किया गया है इसी प्रकार जमाबन्दी सवंत् 2043–2046 में वेलिया वल्द मोगा,वो नीमा पिता वेस्ता पुजिया पिता भूरा रूपा मोगा, पिता वालिया चमार दर्ज है। कि जमाबन्दीं सवत् 2055–2058 के खाता सख्या 57 के खसरा सख्या 340 में धुलिया, देवीलाल, पिता वेलिया, नीमा पुजिया पिता भुरा माया पिता वेस्ता, शान्ति बेवा वेस्ता शंकर फुलकु, शारदा पिता रूपा कनी बेवा रूपा चमार दर्ज रिकार्ड है जिसमें नीमा जो कि वेस्ता की पुत्री है को भूरा की पुत्री के रूप में दर्ज किया गया जो गलत है इसी प्रकार से माया पिता वेस्ता दर्ज किया जबकि वेसता की एक मात्र पुत्री नीमा है माया नामक कोई पुत्री बेस्ता की नहीं है इस प्रकार माया का नमा गलत रूप से दर्ज किया गया है ऐसे में माया पिता वेस्ता का नाम हटाया जाना आवश्यक है साथ ही नीमा पिता भूरा के स्थान पर नीमा पिता केस्ता किया जाना आवश्यक है। वेस्ता की पत्नी तथा नीमा की माता शान्तीदेवी नाते चली गई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पेढीनामा निम्नानुसार है:–

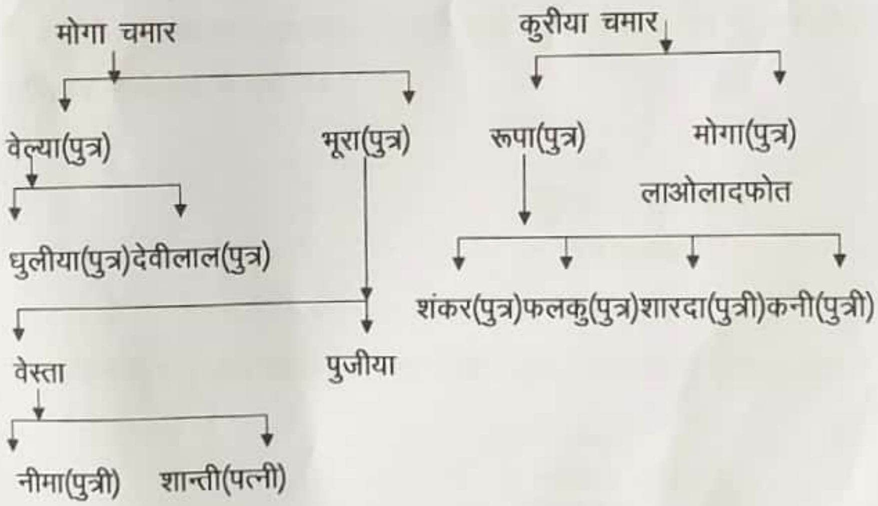

(2) राजस्व कर्मीयो द्वारा जमाबन्दी तैयार करते समय गलत रूप से माया पिता वेस्ता दर्ज किया गया है जो हटाया जाना आवश्यक है क्योकि माया पुत्री वेस्ता कोई व्यक्ति नहीं है, इसी प्रकार से नीमा पिता भूरा जो गलत दर्ज किया गया है ऐसे में निमा पिता भूरा के स्थान पर निमा पिता वेस्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है इसी प्रकार से हाल जमाबन्दी में कनी पत्नी रूपा की मृत्यु की मृत्यु हो जाने से हाल जमाबन्दी से कनी पत्नी रूपा का नाम हटाया जाना आवश्यक है इसी प्रकार से मोगा पिता वालीया की लॉओलाद मृत्यु हो जाने से मोगा पिता वालीया का नाम भी हटाया जाना आवश्यक है जो मोगा पिता कालीया दर्ज है

Scanned with CamScanner

(3) वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट कालुराम डामोर ने वकालत नामा पेश कर जवाब दावा स्वीकारोक्ति का पेश किया अर्थात वादी के वाद को सही होने से स्वीकार किया गया, तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने एक लिखीत राजीनमा पेश कर वादी के वाद की समस्त कलमों को स्वीकार करते हुए वादी के वाद को स्वीकार करने का रजीनामा पेश किया गया। जो शामील प्रत्रावली किया गया, तहसीलदार तहसील चिखली से वादी के वाद के सबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जो वादी के वाद का पूर्ण रूप से समर्थन करती है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया गया।

अतः गॉव नोलियावाडा तहसील चिखली के खसरा सख्या 340 का रकबा 0. 0243 हैक्टेयर, में गलत दर्ज नाम नीमा पुत्री भूरा के स्थान पर नीमा पुत्री वेस्ता दर्ज किए जाने की आज्ञा दी जाती है, इसी आराजी में माया पुत्री वेस्ता का दर्ज नाम का कोई व्यक्ति नहीं होने से माया पुत्री वेस्ता का नाम हटाने की आज्ञा दी जाती है, साथ ही इसी आराजी में दर्ज नाम मोगा पिता कालीया जिसका सही नाम मोगा पिता वालीया है जिसका लाओलाद मृत्यु हो जाने से उसका नाम भी हाल जमाबन्दी से हटाए जाने की आज्ञा दी जाती है, इसी आराजी में कनी पत्नी रूपा का देहान्त हो जाने से उक्त नाम भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटाने की आज्ञा दी जाती है चुकि कनी एवं रूपा के वारीसानो के नाम हाल जमाबन्दी में दर्ज है। तहसीलदार तहसील चिखली आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आज दिनांक 1[illegible]/03/2020 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री के.आर खोड RAS

श्री शंकर **बनाम** श्री धुलीया आदि

दावाः– अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

मुकदमा सख्याः– 66/19

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल और प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट कालुराम डामोर, इस वाद में आज दिनांक 11/03/2020 को के.आर.खोड RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है और वादी का डिक्री किया जाता है कि **गॉव नोलियावाडा तहसील चिखली के खसरा सख्या 340 का रकबा 0.0243 हैक्टेयर, में गलत दर्ज नाम नीमा पुत्री भूरा के स्थान पर नीमा पुत्री वेस्ता दर्ज किए जाने की आज्ञा दी जाती है, इसी आराजी में माया पुत्री वेस्ता का दर्ज नाम का कोई व्यक्ति नहीं होने से माया पुत्री वेस्ता का नाम हटाने की आज्ञा दी जाती है, साथ ही इसी आराजी में दर्ज नाम मोगा पिता कालीया जिसका सही नाम मोगा पिता वालीया है जिसका लाओलाद मृत्यु हो जाने से उसका नाम भी हाल जमाबन्दी से हटाए जाने की आज्ञा दी जाती है, इसी आराजी में कनी पत्नी रूपा का देहान्त हो जाने से उक्त नाम भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटाने की आज्ञा दी जाती है चुकि कनी एवं रूपा के वारीसानो के नाम हाल जमाबन्दी में पहले से ही दर्ज है। तहसीलदार तहसील चिखली आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करे।**

यह आज दिनाक 11/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.19 15:48:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: